



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257710
CG-DL-E-04102024-257710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2024/अश्विन 12, 1946

No. 287]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2024

फा.सं.-एकेडी-26/2/2019-अकादमी.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या IV-14014/7/2004-एनआई-II, तारीख 12 अक्टूबर, 2004 और 25 नवम्बर, 2005 द्वारा अधिकथित मानदंडों के निबंधानुसार, भाषाओं अर्थात्, तमिल, संस्कृत, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को प्राचीन भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया; और, भारत सरकार ने मानदंडों को निम्नानुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया है:

- इसके आरंभिक पाठों की उच्च पुरातनता/1500-2000 वर्षों की अवधि का अभिलिखित इतिहास।
- ऐसे प्राचीन साहित्य/पाठ, जो इसे बोलने वाली पीढ़ी-दर-पीढ़ी द्वारा धरोहर माने जाते हों, का एक निकाय।
- काव्य, पुरालेखीय और शिलालेखीय प्रमाणों के अतिरिक्त ज्ञान पाठों, विशेषकर गद्य पाठों पर भी विचार किया जाएगा।
- प्राचीन भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान रूप से भिन्न हो सकते हैं अथवा इनमें या इनकी प्रशाखाओं के उत्तरवर्ती स्वरूपों में अंतर हो सकता है।

और, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला भाषाएं उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करती हैं।

2. अतः अब, भारत सरकार मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगला भाषाओं को भी 'प्राचीन भाषा' के रूप में वर्गीकृत करती है।

अमिता प्रसाद सरभाई, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 2024

F. No. Akd-26/2/2019-Akad.—Whereas in terms of the criteria laid down vide Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. IV-14014/7/2004-NI-II dated 12th October, 2004 and 25th November, 2005, languages namely, Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia were classified as Classical Language;

And whereas the Government of India has decided to revise the criteria as follows:

- (i) High antiquity of its early texts / recorded history over a period of 1500-2000 years.
- (ii) A body of ancient literature/ texts, which is considered a heritage by generations of speakers.
- (iii) Knowledge texts, especially prose texts in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidence would also be considered.
- (iv) The classical languages and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with its later forms or its offshoots;

And whereas Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali languages satisfy the above criteria.

2. Now, therefore, the Government of India hereby classifies Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali also as a Classical Language.

AMITA PRASAD SARBHAI, Jt. Secy.